


01/2014


आदेश

अभिलेख उपस्थापित। प्रस्तुत वाद में उभय पक्ष दिनांक-22.04.14 से लगातार अनुपस्थित हैं। इनके द्वारा कोई समुचित पैरवी नहीं किया जा रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत वाद में उभय पक्ष को कोई अभिरुची नहीं है।

अतः वाद की कार्रवाई बिना कोई प्रभावी आदेश के समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं शंसोधित।


भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
कोडरमा।


भूमि सुधार उपसमाहर्ता
कोडरमा।